वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(परीक्षा विभाग)

क्रमांकः F5 / वमखुवि / परीक्षा / 2022 / 34005 दिनांकः– 16/07/2022

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ5 / वमखुवि / परीक्षा 2022 / 33992 दिनांक 15.07.2022 में आंशिक संशोधन करते हुयें यह व्यवस्था आगामी आयोजित होने वाली समस्त परिक्षाओं पर अग्रप्रकार प्रभावी की जाती है।

ऐसे विद्यार्थी जिन्होने वर्तमान परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन किया है एवं उक्त पुर्नमूल्यांकन का परिणाम जारी होने से पूर्व आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु डिफॉल्टर परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भर दिया हो और उनका अनुमति पत्र जारी हो चुका हो, उन विद्यार्थियों के लियें निम्नानुसार व्यवस्था प्रदान की जाती हैः–

परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने पर यदि विद्यार्थी पुर्नमूल्यांकन परिणाम में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आगामी आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है।

1. आगामी आयोजित परीक्षा में पूर्व परीक्षा के अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के आयोजन की तिथि तक यदि पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित नही किया जाता है तो विद्यार्थी को आगामी आयोजित परीक्षा में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना है।
2. आगामी आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र के पुनर्मूल्यांकन परिणाम में यदि विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाता है तो विद्यार्थी द्वारा पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण प्रश्नपत्र की आगामी आयोजित डिफाल्टर परीक्षा यदि दे दी हे या आगामी परिणाम घोषित हो चुका है तो भी स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं पुर्नमूल्यांकन परिणाम में अर्जित अंक ही मान्य होगे।
3. विद्यार्थी पुर्नमूल्यांकित परिणाम में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आगामी आयोजित परीक्षा में दियें गयें प्रश्नपत्र के अर्जित अंक मान्य होगें।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव कुलपति सचिवालय, कोटा।
2. निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, वमखुवि, कोटा।
3. निदेशक संकाय, वमखुवि, कोटा।
4. कुलसचिव, वमखुवि, कोटा।
5. निदेशक समस्त क्षेत्रिय केन्द्र, वमखुवि, कोटा।
6. प्रभारी ई.एम.पी.सी. को भेजकर लेख है, कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. सिस्टम ऐनेलेसिस्ट एंड डिजाईन मेनेजर को प्रति भेजकर लेख है कि आगामी परीक्षा के घोषित किये जाने वाले परिणाम उक्त प्रकार घोषित कियें जाने की व्यवस्था करावें।
8. प्रभारी आर.टी.आई परीक्षा विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव